

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-हरदा

क्रमांक 1993/सा.नि./2018

हरदा, दिनांक 01/9/2018

:: द्वितीय सीमित निविदा आमंत्रण पत्र ::

- 1 विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन कार्यों के दौरान निम्नानुसार भोजन/स्वल्पाहार व्यवस्था हेतु दिनांक 11/09/2018 समय 3:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उक्त निविदाएँ दिनांक 11/09/2018 को 4:30 बजे कलेक्टर कार्यालय हरदा में उपस्थित निविदाकारों एवं गठित समिति सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी।
- 2 इच्छुक निविदाकार 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) का निविदा शुल्क कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा कक्ष क्र. 15 में जमा कर अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 10/09/2018 को साय: 5:00 बजे तक निविदा प्रपत्र एवं शर्तें प्राप्त कर सकते हैं, अथवा एक सौ रुपये का डीडी कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में जमा कर जिले की वेबसाईट harda.nic.in एवं harda.mp.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।
- 3 निविदा के साथ 2000.00 (दो हजार मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक की डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कलेक्टर हरदा के नाम संलग्न करना होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि निविदाकार को वापस कर दी जावेगी।
- 4 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला हरदा का होगा। एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5 निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को कार्यालयीन आदेश में उल्लेखित स्थान पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी। सामग्री समय पर प्राप्त न होने पर अन्य संस्था से क्रय कर ली जावेगी। तथा इसमें जो अधिक राशि का व्यय होगा, वह निविदाकार को वहन करना होगा।
- 6 निविदाकर्ता के पास समस्त जीवित पंजीयन यथा खाद्य सुरक्षा अभिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI पंजीयन, गुमास्ता एक्ट आदि प्रस्तुत करने होंगे।

अपर कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
जिला हरदा

पृ0क्रमांक 1994/सं.पु./सा.नि./2018
प्रतिलिपि:-

हरदा, दिनांक: 01/9/2018

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जनसंपर्क अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.....म0प्र0 की ओर कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार सर्व अपने कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करें।
7. श्री राकेश पटेल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर उक्त निविदा सूचना पत्र एवं प्रपत्र जिला हरदा की वेबसाईट www.harda.nic.in अपलोड कर अवगत कराने का कष्ट करें।
8. प्रबंधक ई-गर्वनेस जिला हरदा की ओर उक्त निविदा सूचना को वेबसाईट (harda.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
जिला हरदा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी—हरदा

Email:- deoharda01@gmail.com Phone :- 07577.225022

निविदा फार्म प्रपत्र 1

मूल्य रुपये 100-00 प्रति फार्म

(निविदा आमंत्रण सूचना के तहत निविदा फार्म का प्रारूप)

- 1 फर्म/एजेन्सी का नाम
- 2 फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता
- 3 फर्म/एजेन्सी का पंजीयन क्रं
- 4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI का पंजीयन क्रं
- 5 फर्म/एजेन्सी के मालिक का आधार नम्बर
- 6 फर्म/एजेन्सी का पैन नम्बर
- 7 फर्म/एजेन्सी का जी.एस.टी. नम्बर
- 8 दूरभाष/मोबाईल नं.
- 9 धरोहर राशि का विवरण
- 10 फर्म/एजेन्सी प्रोपराईटर का खाता क्रमांक
- 11 बैंक का नाम/शाखा
- आई.एफ.सी.कोड

घोषणा-पत्र

मेरे द्वारा निविदा आमंत्रण पत्र एवं निविदा की निहित शर्तों का भली भाँति अध्ययन कर लिया गया है, तथा उसका अनुबंध पत्र तैयार कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सही/सत्य है किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी।

दिनांक

निविदाकर्ता/फर्म एजेन्सी के
संचालक के हस्ताक्षर

दर सूची प्रपत्र 2

सरल क्रमांक	नास्ता एवं भोजन	सामग्री का नाम एवं दर	
1	समोसा प्रति नग (75 ग्राम)		
2	कचौरी प्रति नग (75 ग्राम)		
3	आलूबड़ा प्रति नग (75 ग्राम)		
4	भाजीबड़ा प्रति नग (75 ग्राम)		
5	पोहा 100 ग्राम प्रति प्लेट		
6	मीठा मावा (केक) 50ग्राम		
7	चाय कट		
8	चाय फुल		
9	काँफी		
10	बिसलरी वाटर 1 ली.		
11	बिसलरी वाटर 200 एमएल		
12	रोटी बटर 5 नग		
13	सादा रोटी 5 नग साथ में सलाद अचार		
14	दाल फ्राय एक कटोरी		
15	सब्जी सीजनल एक कटोरी		
16	सब्जी पुडी पैकेट (350 ग्राम)		
17	मटर पनीर प्रति प्लेट		
18	व्ही.आई.पी. भोजन थाली		
19	सादा भोजन थाली		

नोट:-व्ही.आई.पी.भोजन थाली एवं सादा भोजन थाली मे दी जाने वाली सामग्री का नाम लिखे।

निविदाकर्ता/फर्म एजेंसी के
संचालक के हस्ताक्षर

प्रपत्र 3

भोजन/चाय/नाश्ता आदि की व्यवस्था हेतु निविदा की शर्तें

- 01 विधानसभा आमचुनाव 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए प्रशिक्षण, नामांकन कार्यवाही, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति केन्द्र, मतदान केन्द्र, मतगणना, एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में नियुक्त होने वाली अधिकारियों/कर्मचारियों को लगने वाले समय-समय पर भोजन/चाय/नाश्ता आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु पंजीकृत निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।
- 02 प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रुपये 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जावे।
- 03 प्रथम लिफाफे में निविदा सामान्य जानकारी प्रपत्र -1 शर्तों की स्वीकृति (घोषणा पत्र) क्रय रसीद, फर्म के जीवित पंजीयन, पेन कार्ड, जीएसटी नम्बर आदि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।
- 04 द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र 2 में दर सूची अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी होना चाहिये। यदि किसी निविदाकार द्वारा अंकों एवं शब्दों में दी गयी दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में विभाग द्वारा शासन के हित में जो होगा उसे मान्य किया जावेगा।
- 05 कार्यावधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
- 06 कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना/आपदा से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का न होकर संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।
- 07 प्रत्येक निविदाकार/फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य के लिये केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 08 निविदा से संबंधित किसी भी वाद विवाद पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरदा का निर्णय अंतिम होगा।
- 09 प्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित दर पर खाद्य सामग्री तैयार कर कार्यक्रम अनुसार बताये गये स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।
- 10 प्रथम प्राथमिकता उस फर्म को दी जावेगी जिसके द्वारा न्यूनतम दरें दी गई हैं, उस फर्म के द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में अन्य फर्म से कार्य लिया जा सकता है।
- 11 खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध करानी होगी। यदि खाद्य सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकार के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। भोजन पकेट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये। पैकिंग में प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- 12 भोजन/नाश्ता तैयार करने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का ही उपयोग किया जावे।
- 13 खाद्य सामग्री में रिफाईन्ड तेल का उपयोग किया जावे। समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
- 14 जिस विभाग के द्वारा कार्य आदेश जारी किया गया है, वह समस्त शर्तों का पालन कराने हेतु कार्यवाही करेगा।
- 15 उक्त दरें समस्त करों सहित मान्य की जावेगी एवं भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार देय समस्त करों का कटौती किया जावेगा।
- 16 प्रदायकर्ता इकाई द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे कार्य से पृथक किया जावेगा।
- 17 प्रदायकर्ता इकाई को प्रदाय आदेश प्राप्त होने पर विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से संतुष्ट करना होगा कि उसका किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है।
- 18 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वही संस्था खाद्य सामग्री सप्लाय कर सकती है।
- 19 स्वीकृत दरें जुलाई 2019 तक मान्य रहेगी।
- 20 निविदाकार को ब्लेक लिस्टेड नहीं होने विषयक शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर देना आवश्यक होगा।
- 21 स्थल पर लगने वाली सामग्री प्रदाय किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर संबंधित निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

- 22 दरें स्वीकृत होने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर निविदाकार को जिले अंतर्गत किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी समय सामग्री प्रदाय करने के निर्देश दिये जा सकते हैं। जिसका भुगतान निविदा अंतर्गत स्वीकृत दरों पर ही किया जायेगा। निविदाकार सामग्रियों को वांछित स्थान पर तुरंत प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। निविदाकार को ऐसी व्यवस्था करना होगी कि उनसे 24 घंटे में किसी भी समय संपर्क किया जा सके। परिवहन राशि पृथक से देय नहीं होगी।
- 23 सफल निविदाकार की न्यूनतम दरों पर आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकारों से भी कार्य कराया जा सकता है।
- 24 सफल निविदाकार द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराने अथवा तत्समय निर्मित परिस्थितियों के अनुसार तत्कालिक आवश्यकता की दशा में स्थानीय बाजार से व्यवस्था की जायेगी। जिस हेतु होने वाली अधिक व्यय की राशि निविदाकार को वहन करनी होगी।
- 25 निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की सुरक्षा के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सामग्री खराब पायी जाने पर तत्काल बदलना भी होगी।
- 26 निविदाकार के पास अपने कार्य संचालन हेतु सभी आवश्यक शासकीय पंजीयन दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- 27 निविदाकार को निविदा के साथ जीएसटी नम्बर तथा पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियों के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 28 सामग्री में कमी या वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार कार्यादेश जारी करने वाले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- 29 उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु आमंत्रित निविदा दर किसी भी समय निरस्त करने अथवा पुनः निविदा दर आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला हरदा के पास सुरक्षित होगा।
- 30 निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य जानकारी अधिकृत शासकीय वेबसाइट harda.nic.in एवं harda.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
- 31 शासकीय नियमानुसार समस्त प्रकार के करों की कटौती की जायेगी। अन्य सभी करों का वहन निविदाकर्ता को करना होगा।
- 32 समस्त सामग्री की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की रहेगी। प्रदाय सामग्री के संबंध में किसी भी चोरी/हानि/क्षति की स्थिति में कार्यादेश प्रदायकर्ता कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 33 निविदाकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी का प्रपत्र संलग्न है। जिसमें जानकारी पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 34 जिस फर्म द्वारा पूर्णरूपेण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे वह निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
- 35 प्रदायकर्ता के पास वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र होना चाहिये एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 36 भोजन तैयार किये जाने वाली सामग्री जैसे कुकिंग गैस बर्तन अन्य सामग्री एवं मानव संसाधन की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।
- 37 भोजन व्यवस्था में लगने वाले कर्मचारी का आचरण संयमित हो तथा सभी की निर्धारित गणवेश होना अनिवार्य है। प्रत्येक कर्मचारी के ड्रेस पर नाम पट्टिका होना अनिवार्य है।
- 38 भोजन पकाने एवं वितरण करने वाले कर्मचारी चिकित्सकीय दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हो। तत्संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भोजन व्यवस्था में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को संक्रामक बीमारी न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
- 39 बचे हुये भोजन, जूठन आदि के समुचित निपटान की व्यवस्था निविदाकार की होगी।
- 40 सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था निविदाकार की होगी।
- 41 देयकों की राशि का भुगतान करते समय नियमानुसार कर की राशि की कटौती की जाकर राशि का भुगतान ई-भुगतान पद्धति से उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में किया जावेगा, तथा आवंटन की उपलब्धता अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

निविदाकर्ता/फर्म एजेंसी के
संचालक के हस्ताक्षर